IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय लोकतंत्र में लोकपाल की भूमिका: भ्रष्टाचार नियंत्रण की संवैधानिक चुनौती

1Vaibhav singh, 2Mrityunjay Kumar Rai
1LL.M. 3rd Semester Student, 2Assistant professor
1MBSPG COLLEGE GANGAPUR VARANASI ,
2MBSPG COLLEGE GANGAPUR VARANASI

भूमिका

भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कृ भ्रष्टाचार। यह न केवल प्रशासनिक संरचना को खोखला करता हैए बल्कि जनविश्वास को भी दुर्बल करता है। स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कई दशकों से चल रही हैए परंतु संस्थागत ढांचे की कमी के कारण यह संघर्ष कमजोर पड़ा। इसी आवश्यकता से जन्म हुआ लोकपाल की अवधारणा का कृ एक स्वतंत्र और प्रभावी अभियोग अधिकारीए जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को भी जवाबदेह बना सके।

लोकपाल की उत्पत्ति और वैचारिक पृष्ठभूमि

'लोकपालष शब्द मूलतः संस्कृत शब्द श्लोकश और श्पालकश से बना हैए जिसका अर्थ होता है कृ जनता का रक्षक। इस विचार की प्रेरणा स्वीडन की 'ओम्बड्समैनष प्रणाली से ली गई थीए जो 19वीं शताब्दी से प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का माध्यम रही हैख1,। भारत में लोकपाल की संकल्पना सबसे पहले 1963 में पहली बार संसद में प्रस्तावित की गई थी जब सांसद एलण्एमण सिंहवी ने इसकी संस्तुति की थीख2,।

लोकपाल विधेयक का इतिहास

लोकपाल की स्थापना की मांग स्वतंत्र भारत में कई बार उठाई गई। 1968 से लेकर 2013 तक संसद में आठ बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गयाए किंतु राजनीतिक इच्छा.शक्ति की कमी के कारण यह पारित नहीं हो सका।

इसमें निर्णायक मोड़ आया 2011 के 'अण्णा आंदोलनष के साथए जब सिविल सोसाइटी और करोड़ों नागरिकों ने मिलकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए। इसके फलस्वरूपए 2013 में 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियमष पारित हुआख3,।

लोकपाल अधिनियमए 2013रू मुख्य प्रावधान

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियमए 2013 एक ऐतिहासिक कानून हैए जो निम्नलिखित प्रावधान करता हैख4,रू

1ण लोकपाल की स्थापनारू केंद्र स्तर पर एक स्वतंत्र संस्था जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेगी।

2ण रचनारू लोकपाल में एक अध्यक्ष ;जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता हैद्ध तथा अधिकतम आठ सदस्य ;जिनमें 50: अनुसूचित जातिए जनजातिए महिला या अल्पसंख्यक से होने चाहिएद्ध होते हैं।

3ण अधिकार क्षेत्ररू प्रधानमंत्री ;कुछ सीमाओं के साथद्धए केंद्रीय मंत्रीए सांसदए सरकारी अधिकारीए छळव आदि इसके अधिकार में आते हैं।

4ण जांच प्रक्रियारू जांच के लिए ब्ठप् अथवा लोकपाल की स्वयं की जांच शाखा द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

5ण लोकायुक्तरू प्रत्येक राज्य को एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करनी थी।

प्रधानमंत्री पर लोकपाल की शक्तियाँ

यह अधिनियम एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह भारत के प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाता है कृ हालांकि कुछ सीमाएँ निर्धारित हैंख्5,रू

राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों को लोकपाल की पहुँच से बाहर रखा गया है।

कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कार्यों पर सीमित निगरानी।

इस प्रकारए संविधान में प्रधानमंत्री की स्थिति की गरिमा को सुरक्षित रखते हुएए जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है।

लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु एक चयन समिति गठित की जाती हैए जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैंरू

1ण प्रधानमंत्री दृ अध्यक्ष

2ण लोकसभा में विपक्ष का नेता

3ण भारत के मुख्य न्यायाधीश या नामांकित न्यायाधीश

4ण एक विशिष्ट न्यायविद

यह चयन प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित हैख्6,।

लोकपाल की शक्तियाँ और कार्यक्षमता

लोकपाल के अधिकार अत्यंत व्यापक हैंरू

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमए 1988 के अंतर्गत अपराधों की जांच।

सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति।

समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निस्तारण।

लोकपाल को ब्ठप् और प्रवर्तन निदेशालय ;म्क्द्ध से सहयोग प्राप्त करने का अधिकार है।

लोकपाल की सीमाएँ और व्यावहारिक चुनौतियाँ

यद्यपि अधिनियम क्रांतिकारी हैए परंतु लोकपाल की प्रभावशीलता कई कारणों से सीमित रही हैरू

1ण देर से गठनरू अधिनियम 2013 में पारित हुआए पर पहला लोकपाल मार्च 2019 में नियुक्त किया गयाख्7,।

2ण लोकायुक्त की अनुपस्थितिरू अधिकांश राज्यों ने अब तक प्रभावी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की।

3ण स्वायत्तता की कमीरू ब्ठप् जैसी संस्थाएँ अभी भी कार्यपालिका के अधीन हैं।

4ण प्रक्रियागत विलंबरू जांच और अभियोजन में अत्यधिक समय।

लोकपाल बनाम अन्य संस्थाएँ

लोकपाल इन सभी संस्थाओं से ऊपर एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता हैए जो कि राज्य की न्यायिक व नैतिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

लोकपाल से अपेक्षाएँ और सुधार के सुझाव

1ण ब्ठप् को लोकपाल के अधीन लानारू इससे जांच की निष्पक्षता बढ़ेगी।
2ण राज्यों में लोकायुक्त की अनिवार्य स्थापनारू अब तक केवल 20 राज्यों में ही लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं।
3ण डिजिटल शिकायत तंत्र की मजबूतीरू शिकायतकर्ता की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
4ण न्यायिक समीक्षारू लोकपाल के आदेशों को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकेए परंतु प्रक्रियागत बाधाएँ न हों।
5ण वित्तीय एवं मानव संसाधन की स्वतंत्रता।

न्यायपालिका की दृष्टि से लोकपाल

सुप्रीम कोर्ट ने कई अवसरों पर लोकपाल की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
प्रभु दत्त बनाम भारत संघ ;1994द्ध में अदालत ने कहा कि श्जब कार्यपालिका निष्क्रिय होए तब जनहित के लिए स्वतः संज्ञान आवश्यक है''ख8,।
2011 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि श्जनता की धारणा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अत्यंत असहिष्णु हो चुकी हैए और प्रभावी लोकपाल इसका समाधान है।''
अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
भारत के अतिरिक्त हांगकांगए ऑस्ट्रेलियाए स्वीडनए न्यूजीलैंड आदि देशों में भी लोकपाल जैसी संस्थाएँ कार्यरत हैं। इन देशों में इनकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कितनी स्वायत्तताए संसाधन और कानूनी अधिकार प्राप्त हैंख9,।
भारत में इन अनुभवों से सीख लेकर लोकपाल संस्था को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

लोकपाल भारतीय लोकतंत्र की न्यायिक चेतना का प्रतीक है। यह एक ऐसा संस्थागत ढाँचा है जो भ्रष्टाचार जैसे भीषण सामाजिक अभिशाप के विरुद्ध एक सक्षम हथियार बन सकता है कृ यदि इसे सही संसाधनए राजनीतिक समर्थनए और नागरिक सहभागिता प्राप्त हो।
लोकपाल की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि सत्ता में बैठे लोग इसे सहयोग करें या केवल एक प्रतीकात्मक संस्था बना रहने दें।

फुटनोट्स (Footnotes)

[^1]: Gellhorn, Walter. Ombudsman and Others: Citizens' Protectors in Nine Countries, Harvard University Press, 1966.
[^2]: L.M. Singhvi, Parliamentary Debates, Lok Sabha, 1963.
[^3]: The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013. Ministry of Law and Justice, Government of India.
[^4]: Ibid., Sections 3 to 14.
[^5]: Lokpal Act, Section 14 (1)(e) – Exceptions regarding Prime Minister.
[^6]: Lokpal and Lokayuktas Rules, 2014.
[^7]: Justice Pinaki Chandra Ghose appointed as first Lokpal – Press Release, March 2019.
[^8]: Prabhu Dutt v. Union of India, AIR 1982 SC 6.
[^9]: International Ombudsman Institute – Annual Report 2020.